

कार्यालय :- चंदनसिंह चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विदिशा मध्यप्रदेश

क्रमांक 1.92/स्टेनो/सी.जे.एम./2023

विदिशा, दिनांक 31.10.2023


// रिमांड ड्यूटी //

एतद् द्वारा न्यायिक स्थापना विदिशा पर सार्वजनिक अवकाशों में रिमांड ड्यूटी एवं अति आवश्यक कार्यों के संपादन हेतु माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 हेतु निम्नानुसार अभिनिर्धारित की जाती है :-

1	02	03	04
क	न्यायिक अधिकारीगण के नाम व पदनाम	नवम्बर	दिसम्बर
	अवकाश दिवस	5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26, 27	3, 10, 16, 17, 24, 25, 31
स्थापना-विदिशा			
1.	श्री विजय कुमार पाण्डेय जे.एम.एफ.सी.	5	25
2.	श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डेय जे.एम.एफ.सी.	26, 27	24
3.	श्री गजेन्द्र रावत, जे.एम.एफ.सी.	13, 15	16
4.	श्री गौरव चौरसिया जे.एम.एफ.सी.	10, 11, 19	10
5.	श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.	12, 18	17
6.	श्रीमती प्रथा श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.	मातृत्व अवकाश पर।	
7.	सुश्री निशा रघुवंशी जे.एम.एफ.सी.	14, 17	3, 31
स्थापना-गंजबासौदा			
1.	श्री शशांक सिंह जे.एम.एफ.सी.	5, 14	3, 25
2.	श्री पार्थशंकर मिश्रा जे.एम.एफ.सी.	10, 15	10, 31
3.	श्री राहुल निरंकारी जे.एम.एफ.सी.	11, 17	16
4.	श्री श्रीकृष्ण बरार जे.एम.एफ.सी.	12, 18, 26	17
5.	रवेन्द्र कुमार सोनी जे.एम.एफ.सी.	13, 19, 27	24
स्थापना-सिरोंज			
1.	अपूर्वा ताम्रकर जे.एम.एफ.सी.	17, 18, 19, 26, 27	3, 16, 24, 25
2.	अंकिता जैन जे.एम.एफ.सी.	5, 10, 11, 12, 13, 14, 15	10, 17, 31
स्थापना-कुरवाई			
1.	श्री सुधीरसिंह निग्वाल जे.एम.एफ.सी.	5, 11, 13, 15, 18, 26	3, 16, 24, 25
2.	सुश्री निशा कुरील जे.एम.एफ.सी.	10, 12, 14, 17, 19, 27	10, 17, 31
स्थापना-लटेरी			
1.	श्री कुलदीप नामदेव जे.एम.एफ.सी.	5, 11, 12, 15, 18, 26	3, 16, 24, 25
2.	श्रीमती दीपा पाल जे.एम.एफ.सी.	10, 13, 14, 17, 19, 27	10, 17, 31

आवश्यक निर्देश :-

- 1- प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड तिथि को शाम चार बजे से पांच बजे तक अपने स्टॉफ सहित न्यायालय कक्ष में बैठकर रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे।
- 2- यदि रिमांड ड्यूटी अवधि में कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर जाते हैं अथवा मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो वह मुख्यालय पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट से रिमांड ड्यूटी निष्पादन हेतु आपसी समायोजन, लिखित सहमति के मुख्यालय छोड़ेंगे और इस तथ्य की जानकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विदिशा को पृथक से देंगे।
- 3- यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुये अर्जित अवकाश या आकस्मिक अवकाश या ऐच्छिक अवकाश का आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं अथवा प्रशिक्षण में जाते हैं तो वे न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड ड्यूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। मेडिकल अवकाश पर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड कार्य उन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा, जिन पर उनके न्यायालय का आवश्यक कार्यभार है।
- 4- यदि उपरोक्त अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई शासकीय अवकाश घोषित होता है, तो उस दिन रिमांड ड्यूटी का कार्य जिला मुख्यालय विदिशा में माह नवम्बर एवं दिसम्बर में श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डेय जे.एम.एफ.सी. विदिशा द्वारा एवं उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. द्वारा संपादित की जावेगी एवं गंजबासौदा में माह नवम्बर एवं दिसम्बर में श्री पार्थ शंकर मिश्रा जे.एम.एफ.सी. द्वारा एवं उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में श्री राहुल निरंकारी जे.एम.एफ.सी. द्वारा तथा सिरोंज में माह नवम्बर एवं दिसम्बर में अपूर्वा ताम्रकार जे.एम.एफ.सी. द्वारा संपादित की जावेगी तथा उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में अंकिता जैन जे.एम.एफ.सी. द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जावेगी। कुरवाई में माह नवम्बर एवं दिसम्बर में श्रीमती निशा कुरील जे.एम.एफ.सी. द्वारा संपादित की जावेगी एवं उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में श्री सुधीरसिंह निगवाल जे.एम.एफ.सी. द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जावेगी। लटेरी में माह नवम्बर एवं दिसम्बर में श्रीमती दीपा पॉल जे.एम.एफ.सी. द्वारा संपादित की जावेगी एवं उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में श्री कुलदीप नामदेव जे.एम.एफ.सी. द्वारा संपादित की जावेगी उक्त आधिकारीगण के अवकाश पर होने की दशा में कार्य-विभाजन पत्रक अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जावेगी। न्यायिक अधिकारी के स्थानांतरण की दशा में कार्य विभाजन पत्रक अनुसार उनके प्रभार वाले न्यायाधीश द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जावेगी।



चंदनसिंह चौहान
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
विदिशा मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-

पृ.क्र...../स्टेनो/सी.जे.एम./2023

विदिशा, दिनांक 31.10.2023

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय विदिशा को सादर सूचनार्थ।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी महोदय नजारत अनुभाग विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई/लटेरी की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी, विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई/लटेरी की ओर सूचनार्थ।
4. सिस्टम आफिसर, विदिशा की ओर संबंधित को मेल किये जाने हेतु प्रेषित।
5. किमिनल रीडर न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विदिशा।
6. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा को सूचनार्थ।


चंदनसिंह चौहान
31/10/2023
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
विदिशा मध्यप्रदेश